भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †1692
सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

स्मारक मित्र योजना में सुधार करना

†1692. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के 1,000 स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी फर्मों को भागीदार बनाने के लिए स्मारक मित्र योजना में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार 15 अगस्त, 2023 तक पुनर्गठित स्मारक मित्र योजना के अंतर्गत कम से कम 500 स्थलों के लिए निजी भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): संस्कृति मंत्रालय ने केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों/स्थलों पर पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सुविधाएं एवं अवसंरचना प्रदान करने, उनके विकास और रखरखाव के उद्देश्य से स्मारक मित्र नामक पुरानी योजना को एक विरासत को अपनाएं 2.0 के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ): संस्कृति मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना उन कॉर्पोरेट क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई रूचि पर निर्भर करता है जो स्मारक मित्र के रूप में आगे आते हैं। तथापि यह परिकल्पना की गई है कि कॉर्पोरेट क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ इन समझौता ज्ञापनों में वृद्धि होने की सम्भावना है।

*****